हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

प्रेषक:	सेवा में,
सचिव, हरियाणा वि0 शि0बोर्ड, भिवानी।	सभी प्रधानाचार्य,मुख्याध्यापक

क्रमांकः— 3128/सै0 दिनांकः— 22.02.2023

विषयः—सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा फरवरी/मार्च—2023 के लिए दिव्यांग/अशक्त परीक्षार्थियों को लेखक उपलब्ध करवाने बारे प्रारूप।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सभी विद्यालय मुखियाओं को सूचित किया जाता है कि सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा फरवरी/मार्च—2023 के लिए दिव्यांग/अशक्त परीक्षार्थियों को लेखक उपलब्ध करवाने बारे दिए गए प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में नियमानुसार C.M.O. द्वारा जारी 40 प्रतिशत या इससे अधिक के चिकित्सा प्रमाण—पत्र के आधार पर व नोटिफिकेशन में जारी की गई हिदायतों के अनुरूप लेखक उपलब्ध करवाया जाना है। दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा जिला स्तर पर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में निम्न संशोधन किया गया है:—

1. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित दिव्यांग परीक्षार्थियों के अनुरोध करने पर संबंधित विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांगता प्रमाण—पत्र/UDID कार्ड की जॉच करते हुए संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र को लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों के अनुरोध करने पर किसी भी विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांगता प्रमाण—पत्र/UDID कार्ड की जॉच करते हुए अन्य विद्यालय में अध्ययनरत नियमित परीक्षार्थी/स्वंयपाठी **(Private)** दिव्यांग छात्र को लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित/स्वंयपाठी **(Private)** दिव्यांग परीक्षार्थियों के अनुरोध करने पर परीक्षा केन्द्र के मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिव्यांगता प्रमाण—पत्र/UDID कार्ड की जॉच करते हुए नियमित/स्वंयपाठी **(Private)** दिव्यांग छात्र को परीक्षा आरम्भ होने से एक घण्टा पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।
4. परीक्षा समाप्ति के उपरांत मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर लेखक की सुविधा दी है, की प्रति इ0मेल/पंजीकृत डाक के माध्यम से बोर्ड कार्यालय की संबंधित शाखाओं को भेजी जानी है।

जो परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय से लेखक की सुविधा लेना चाहते है ऐसे परीक्षार्थी व्यक्तिगत तौर पर पूर्ण दस्तावेजों के साथ बोर्ड कार्यालय मं प्रार्थना—पत्र दे कर लेखक की सुविधा ले सकते है।

प्रार्थी को लेखक उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में प्रारूप जारी किया गया है,जिसकी प्रति बोर्ड की अधिकारिक वैबसाईट www.bseh.org.in से डाउनलोड़ कर सकते है।

अतः सभी सम्बन्धित उक्त अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।

उप—सचिव (परीक्षाएं)
कृते:सचिव